सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 28 फाल्गुन, 1942 (श०) / 19 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 08

(1)	स्वास्थ्य विभाग	07
(2)	ऊर्जा विभाग	01
	कुल योग --	08

योग प्रशिक्षण हेतु

63. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-114 मटिहानी)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा योग के माध्यम से राज्य के आम जनता को जागरूक करने और योग का प्रशिक्षण देने हेतु 27 जिला एवं 22 अनुमंडल अस्पतालों में ''दैनिक योग प्रशिक्षण कैंप'' चलाये जाने का निर्णय लेते हुये योग्यता एवं संविदा के आधार पर योग प्रशिक्षक की नियुक्ति दस हजार रुपये मानदेय पर वर्ष 2008 में की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त योग प्रशिक्षकों के मानदेय में वर्ष 2008 से अबतक बढ़ोतरी नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो आमजनों के स्वास्थ्य लाभ हेतु योग प्रशिक्षकों के मानदेय में यथोचित बढ़ोतरी करते हुये योग को बढ़ावा देने हेतु योग प्रशिक्षण को कार्य पूरे राज्य में सुचारु रूप से चलाये जाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्पाईन यूनिट/सेन्टर गठित करना

64. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रमुख अस्पतालों में सर्जरी के लिये सर्जरी विभाग, बच्चों के लिये बच्चा विभाग, हड्डी रोग के लिये हड्डी विभाग इत्यादि बना हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में स्लिप डिस्क एवं स्पाईन जनित रोगों के अन्य गंभीर मरीजों की संख्या लाखों में है जो तेजी से बढ़ रही है और राज्य में कोई स्पेशलिस्ट यूनिट नहीं होने के कारण रोगियों को चिकित्सा हेतु राज्य के बाहर जाना पड़ता है, परंतु राज्य के अस्पतालों में स्पाईन के लिये अलग से कोई यूनिट/सेंटर गठित नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार स्लिप डिस्क/स्पाईन रोगी के लिये आई० जी० आई० एम०, पी० एम० सी० एच० जैसे संस्थानों में अलग से स्पाईन यूनिट/सेंटर गठित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

65. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में ''102'' नंबर एंबुलेंस संचालन ''सम्मान फाउंडेशन'' द्वारा किया जाता है, जिसे प्रत्येक सदर/अनुमंडल अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों पर एम्बुलेंस उपकरण, अनिवार्य दवा, ड्राईवर, ENT के साथ उपलब्ध कराने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में सांसद/विधायक मद या विभिन्न संस्थाओं द्वारा सिविल सर्जन कार्यालयों को दिये गये 233 एम्बुलेंसों का संचालन विभागीय स्तर की जगह नियम विरुद्ध ''सम्मान फाउंडेशन'' द्वारा किया जाता है तथा उक्त एम्बुलेंसों पर भी सरकारी राशि का भुगतान लिया जा रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि ''सम्मान फाउंडेशन'' द्वारा राज्य में संचालित एम्बुलेंसों में 113 का इनश्योरेंस फेल है, 43 का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तथा किसी भी एम्बुलेंस का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी पर कार्रवाई

66. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 16 मार्च, 2020 को स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत खाद्य संरक्षण अधिकारी के 91 पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 03/2020 को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 11245, दिनांक 26 नवम्बर, 2020 द्वारा रद्द कर दी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खाद्य संरक्षण अधिकारी की भारी कमी के बावजूद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से विज्ञापन रद्द कर विज्ञापन के पुन: प्रकाशन में विलंब कर दुकानदारों को अनैतिक लाभ पहुँचाने की मंशा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खाद्य संरक्षण अधिकारी के उक्त पदों पर अविलम्ब नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिकायतों का निबटारा

67. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लु सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 22 जनवरी, 2018 के अंक में छपी खबर के आलोक में क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बिजली कम्पनी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के द्वारा उपभोक्ताओं के बिजली संबंधी शिकायतों का निबटारा एक चौथाई भी नहीं हो पाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में उपभोक्ताओं को मीटर लगाने के बाद अधिक बिल आने की शिकायतें अधिक आ रही है लेकिन उनका निबटारा समय पर नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड स्तर पर शिविर लगाकर उपभोक्ताओं के बिलिंग संबंधी तथा अन्य शिकायतों का निबटारा समय पर कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

68. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सदर अस्पतालों में मरीजों का पैथोलॉजी जाँच, एक्स-रे, अल्ट्रासाउण्ड नि:शुल्क करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सदर अस्पतालों में पैथोलॉजी जाँच, एक्स-रे, आउटसोर्सिंग द्वारा एवं अल्ट्रासाउण्ड विभागीय स्तर पर कराया जाता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य में पैथोलॉजी जाँच, अल्ट्रासाउण्ड, एक्स-रे के नाम पर फर्जी आँकड़ा दिखाकर राशि का गबन किया जा रहा है ;

(4) क्या यह बात सही है कि केवल सदर अस्पताल, मोतिहारी में 2016-17 से 2020-21 तक पैथोलॉजी जाँच-2 लाख 97 हजार, अल्ट्रासाउण्ड 36926 तथा एक्स-रे 85186 दर्शाया गया है ;

(5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के सभी सदर अस्पतालों /अनुमंडल अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नि:शुल्क पैथोलॉजी जाँच, अल्ट्रासाण्डड, एक्स-रे

के नाम पर फर्जी संख्या दिखाकर राशि गबन करने की जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पद से हटाना

69. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प, ज्ञापांक 1003, दिनांक 22 जनवरी, 2021 के कंडिका-2(II) v में संविदा पर बहाल कर्मी सरकारी सेवक नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देश के विपरित सेवानिवृत होने पर विभाग के वरीय प्राध्यापक को विभागाध्यक्ष न बनाकर संविदा पर नियुक्त प्राध्यापक को विभागाध्यक्ष बनाने हेतु विभाग अपने पत्रांक 1152 (17), दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 द्वारा आदेश निर्गत किया है जिसके चलते JLNMCH, भागलपुर में शिशुरोग, फिजियोलॉजी, मिक्रोवायोलॉजी, मेडिसिन, पैथोलॉजी, ENT एवं दंत विभाग के विभागाध्यक्ष संविदा प्राध्यापक ही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नियमित प्राध्यापक को विभागाध्यक्ष बनाने हेतु पत्रांक 1152, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 को कबतक निरस्त कर संविदा पर बहाल प्राध्यापक को विभागाध्यक्ष के पद से हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभार दिलाना

70. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में कार्यकारी निदेशक के प्रभार में घोर अनियमितता हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डॉ० विद्यानन्द प्रसाद जन्म तिथि 22 नवम्बर, 1955, एम० डी० रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, वरीयता क्रम 5998, नियुक्ति 1983 है तथा डॉ० अश्विनी कुमार आशु, वरीयता क्रम 6289, एम० डी० पैथोलोजिस्ट, नियुक्ति 1988 है, जबकि वर्तमान कार्यकारी निदेशक, डॉ० सुनील कुमार का जन्म तिथि 20 सितम्बर, 1957, सामान्य औषधि का वरीयता क्रम 6604, नियुक्ति 1988 है तथा सभी संयुक्त निदेशक 30 मई, 2018 को योगदान दिये हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3A विविध-02/2014-4028 पटना, दिनांक 7 मई, 2014 के अनुसार उपरोक्त दोनों संयुक्त निदेशक वर्तमान कार्यकारी निदेशक से वरीय हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वरीयतम संयुक्त निदेशक को प्रभार दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना :
दिनांक 19 मार्च, 2021 (ई०)।

बि०स०मु० 135 (एल०ए०), 2020-21 डी०टी०पी०-550